संख्याः– 636 / ।।–2008–04(21)/05

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभागा, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई विभाग देहरादून, दिनांक 25 फरवरी, 2008

विषयः जनपद हरिद्वार में उपरी गंगा नहर के कि0मी0 6.040 जटवाडा पुल (हरिद्वार) से कि0मी0 39.910 मंगलोर पुल तक बायें सेवा मार्ग पर पक्की सड़क मार्ग के अतिरिक्त कार्यों की योजना की प्रशसनिक एवं वित्तीय स्वीकृत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 4675/मु0अ0वि0/बजट/बी–1 योजना दि0 11.12.07 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हरिद्वार में उपरी गंगा नहर के कि0मी0 6.040 जटवाडा पुल (हरिद्वार) से कि0मी0 39.910 मंगलोर पुल तक बायें सेवा मार्ग पर पक्की सड़क मार्ग के अतिरिक्त कार्यों की योजना रू0–240.89 लाख के आगणन के विपरीत टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0 209.31 लाख (रूपये दो करोड़ नौ लाख इक्कतीस हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा योजना के क्रियान्वयन हेतु रू0 41.87 लाख (रूपये इक्तालीस लाख सतासी हजार मात्र) की धनराशि व्यय करने हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1– योजना का कार्य कराते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स तथा शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत अन्य आदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

2– अधीक्षण अभियन्ता योजना का स्थल निरीक्षण कर स्थलीय आवश्यकतानुसार एवं शासन द्वारा अनुमोदित आगणन/लागत के अनुसार कार्य प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित करें।

3– अधीक्षण अभियन्ता का दायित्व होगा कि कार्यों को सम्पादित कराने से पूर्व आगणन में लगाई गयी लीड, दूरी आदि का सत्यापन करें तथा आगणन में ली गयी दरों का पुनः परीक्षण करा लें ताकि किसी दर में कोई भ्रान्ति उत्पन्न न हो।

4– कार्य कराने से पूर्व परियोजनाओं के विस्तृत मानचित्र आगणन गठित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लें, तद्परोन्त ही कार्य करायें।

5– आगणन में जिन मदों के लिए धनराशि की व्यवस्था की गयी है व्यय भी उन्हीं मदों में सुनिश्चित किया जाय।

6– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय और उपयुक्त न पाये जाने पर सामग्री को प्रयोग में न लाया जाय।

7– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना उसके मानक में अनुमन्य है।

8– एक मुश्त प्राविधान के कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

क्रमश ....

9— कार्य सम्पादित कराते समय विभागीय विशिष्टियों का पालन करना सुनिश्चित किया जाय तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय।

10— निर्माण कार्य आगणन में वर्णित व्यवस्था अनुसार ही सुनिश्चित किया जाए जिस हेतु टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षित आगणन की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

11— इस मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007—08 के अनुदान संख्या—20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 16 हरिद्वार में कांवड यात्रियों का वैकल्पिक मार्ग, 02 अन्य रखरखाव व्यय, 0201 गंगा नहर सेवा मार्ग, 24 वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 55/XXVII(2)/2006 दि0 15.2.08 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव।

संख्याः— 636 / ।।—2008—04(21)/05 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
2— वित्त अनु—2,
3— जिलाधिकारी/कोषाधिकारी हरिद्वार।
4— निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5— गार्ड फाईल।

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।